मध्य प्रदेश शासन,
गृह (सामान्य) विभाग,
मंत्रालय.

क्रमांक-एफ-20-6/88/दो-ए(3), भोपाल, दिनांक: 31 मार्च, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय :- शासकीय दूरभाषों की व्यय सीमा ।

संदर्भ :- गृह (सामान्य) विभाग का ज्ञापन क्रमांक-एफ-20-6/88/दो-ए(3), दिनांक 18 जून, 1992 एवं वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक-एफ-17/32/94/ब-7/चार, दिनांक 7-9-94.

दूरभाष की दरों में परिवर्तन के कारण संदर्भ में अंकित ज्ञापनों में उल्लेखित शासकीय दूरभाषों की व्यय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	विवरण	दूरभाष व्यय सीमा
1/	निवास पर स्थापित दूरभाष	रु0 500 के स्थान पर रु0 650/- प्रतिमाह.
2/	कार्यालय में स्थापित दूरभाष	रु0 1000 के स्थान पर रु0 1300/- प्रतिमाह.
3/	विधान सभा सत्र में कार्यालयीन दूरभाषों के लिये	रु0 1200 के स्थान पर रु0 1560/- प्रतिमाह.
4/	विधान सभा सत्र में अपर-सचिवों/ उप सचिवों के निवास पर स्थापित दूरभाषों के लिये ।	रु0 500 के स्थान पर 650/- प्रतिमाह.

क्रमशः 2 -

क्रमांक	विवरण	दूरभाष व्यय सीमा
5/	प्रमुख सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक/संभागीय-आयुक्त/क्षेत्रीय पुलिस-महानिरीक्षक/उप महा-निरीक्षक.	कार्यालयीन दूरभाष रु० 4500 के स्थान पर रु० 5850/- प्रतिमाह तथा रु०-45000/- के स्थान पर रु० 58,500/- प्रतिवर्ष निवास पर शासकीय दूरभाष रु० 1500/- के स्थान पर 1950/- प्रतिमाह तथा रु० 12,000/- के स्थान पर रु० 15,600/- प्रतिवर्ष.
6/	जिन दूरभाषों पर फैक्स सुविधा दी गई है.	कार्यालयीन व्यय सीमा रु० 1300/- प्रतिमाह लागू होगी एवं विधान सभा सत्र में रु० 1560/- प्रतिमाह लागू रहेगी ।

2. उपरोक्तानुसार टेलीफोन पर व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत ही किया जा सकेगा । यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)
(के०एल० दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह(सा०) विभाग

पृ० क्रमांक-20-6/88/दो-ए(3), भोपाल, दिनांक: 31-3-1997
प्रतिलिपि :- निम्नांकितों को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1/ सचिव, राज्यपाल सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2/ सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

/अग्राह

क्रमशः 3/